

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

संगठन पत्र बाबूदार कुलपति जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जाए जा
विकासी अध्यक्ष प्रशिक्षणी के नाम से।
सम्बिल विषय पत्र अंडे पूर्ण में पत्र
अध्यक्ष हुआ हो तो पत्र कार्यक एवं दिनांक
अवश्य लिखा जाए किंतु सुनिक हो।



ग्राम : फूलीपुरी
दूरभास : (0751) 2341896
(0751) 2442529
फैक्ट्र : (0751) 2341768

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर
क्रमांकःएफ/सम्बद्धता/2009/ ५६०।

दिनांक: २७/०२/१२

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध कुमुम गाई जैव कला महाविद्यालय, भिंड (09826277011) को
सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित एम.ए. (टिन्डी, संस्कृत, समाजशास्त्र), बी.ए.एस.सी., बी.कॉम. (कम्प्यूटर
एलीकॉम्प्यूटर अंतिम विषय), बी.टी.ए. एवं एम.कॉम. पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान
करने के लिये मानवीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर वे विश्वविद्यालय अधिनियम 1973
के परिविहार 27(10) के अन्वर्गित निम्नानुसार नियीक्षण समिति का गठन किया है :-

- (1) प्रो. ए.पी.एस. चौहान, आचार्य, राजनीति विज्ञान अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर। (संयोजक)
(0751-2442836)
- (2) डॉ. एस.के. सिंह, आचार्य, वाणिज्य एवं प्रबंध अध्ययनशाला, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
- (3) डॉ. एस.के. गुप्ता, उपाचार्य, कम्प्यूटर साइंस अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।
- (4) डॉ. शैलजा जैन, शास्त्रीय के.आर.जी. कॉलेज, ग्वालियर।

नियीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिविहार 27/28 के प्राप्तांगों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष नियीक्षण कर
शुल्क, घोटाल ग्राह, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्ट्रॉक, ग्राहित संस्था से प्राप्त अनुज्ञाति/अन्वापति प्रमाण-पत्र, भवन, वीड़ियो परिसर एवं
पाठ्यक्रम/आर्डिनेस तथा प्रिछ्ने सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्ट्रॉक की
नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित रहें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने
के 30 दिवस के अंदर नियीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से संपर्क ऊपरित रूप से नियीक्षण करवायें। समिति संयोजक से विवेदन है
कि वे उक्त विधीर्वत तथा में नियीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। नियीक्षण प्रतिवेदन जमा
करने का उत्तरदायित्व नियीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

“समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद नियीक्षण में की मई देवी के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तराधीनी होगा। जिसकी सूचना
आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोगाल की भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में नियीक्षण बही करता है तो समिति तत्त्व विरक्त हो
जावेगी और पुनः नियीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को दाव स्वरूप रु. 25,000/- जमा करने होंगे। तत्परता ही नियीक्षण
समिति का पुनर्गठन किया जायेगा। परिविहार 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए विनाशकों को प्रवेश देना अन्यायिक है।”

नियीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शास्त्र में कार्यरूप अधीक्षक / कार्यालय शहरीक पत्रावली लेकर जावेगे तथा महाविद्यालय की
वस्तुत्वात् से नियीक्षण समिति को अवगत करावेंगे। नियीक्षण समिति के सदस्यों दो वी.ए. / बी.ए. / मानदेव महाविद्यालय हार दें
होंगे।

3/2/2013
कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थी एवं अवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि नियीक्षण के संयोजक से संपर्क ऊपरित कर नियीक्षण
दिनांक नियीक्षण कर महाविद्यालय का नियीक्षण करावें। उक्त नियीक्षण 15 दिवस के अंदर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोगाल
4. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

R.D.
सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

लगातार पत्र व्यक्तिर कुलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जाए जा सकता है।
सम्भवित लिप्यते पत्र वाले पूर्ण में यह
व्यक्तिर कुप्राप्त हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक
अवश्य लिखा जाए जिससे दर्शिया हो।



ग्रन्थ : शृणुकपिली
दृष्टिकाष्ठ : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्ट्र : (0091-0751)-2347765
E-mail : jureg_gwla@rediffmail.com
Website : http://www.jiwoji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
व्याकुलियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2011/4609

दिनांक : 27/02/12

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 01 नवम्बर, 2011 के दृढ़ क्रमांक (02) के विण्याकुसार कुसुम बाई जैन कन्या महाविद्यालय, भिण्ड को सत्र 2010-11 के लिये प्रत्यावित/संचालित एम.ए. (हिन्दी, संस्कृत, इतिहास, समाजशास्त्र), बी.एच.एस.-एड., बी.कॉम. (कम्प्यूटर एप्लीकेशन अति. वि.), बी.सी.इ. एवं एम.कॉम. पाठ्यक्रम के लिये अनुभाव सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

शर्तें/प्रतिबंध :-

1. एक माइक्रोवेव ओवन क्रय किया जावे तथा इयूमन अलाइमी सिस्टम के पाँच मॉडल क्रय किये जावे।
2. 5 कम्प्यूटर और क्रय किये जावे तथा कोर्स से सम्बंधित लीनिंग सभी साफ्टवेयर आवश्यक रूप से खरीदे जावे।
3. 28(17) में नियुक्तियाँ की जावे तथा परि. 27 के अनुभार लैंब बनाई जावे।

आदेशाकुसार
Z. M. B., 3
कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, कुसुम बाई जैन कन्या महाविद्यालय, भिण्ड,
2. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सल्मुदा भवन, भोपाल।
3. श्रीत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती मण्डल परिषद, ग्वालियर।
4. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

R.M.
सहा. कुलसचिव (सम्बद्धता)